(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 54/2018-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अक्टूबर, 2018

सा.का.नि. (अ) - जहाँ कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत देश' से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित "एलॉय स्टील के स्ट्रेट लेन्थ बार्स और राड्स" (एतश्मिन पश्चात जिसे 'विषयगत वस्तु' से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे 'उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम' से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7228 के अन्तर्गत आती है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्ष में, जिसे अधिसूचना सं. 6/10/2017-डीजीएडी, दिनाँक 5 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खण्ड I में प्रकाशित किया गया है, के तहत इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि-

(क) विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत में आयात उसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;

(ख) विषयगत देश से इस प्रश्नगत आयात के कारण यहाँ के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है; और

(ग) यह क्षति विषयगत देश से विषयगत वस्तु का फालतू आयात के कारण हुई है।

और उन्होंने इस पाटन और क्षति की भरपाई करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहाँ से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है;

अतः, अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका आकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एततद्वारा,-

(I) वस्तुओं (फोर्ज्ड बार्स और टूल तथा डाई स्टील को छोड़कर) जिसका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष के अन्तर्गत आती है, जो कि कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है, कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निर्यातकों से निर्यातित है और भारत में आयातित है, पर उक्त सारणी के कॉलम (10) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार तथा कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से प्रतिपाटन शुल्क लगाती है :-

सारणी

क्रम सं.	शीर्ष	उत्पाद का विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	7228	एलॉय बार्स और राड्स, स्ट्रेट लेन्थ के, चाहे ये हॉट रोल्ड, हॉट ड्रान, कोल्ड ड्रान, कोल्ड एक्सट्रूडेड, पील्ड बार, सर्फेस मशीन्ड, पॉलिस्ड, ब्राइट बार, फोर्ज्ड हो या नहीं।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	मैसर्स बेंगांग स्टील प्लेट्स कं. लि.,	क) मैसर्स बेंक्सी आयरन एन्ड स्टील हांग कांग लिमिटेड ख) मैसर्स हैंगझाउ कोजेनेरेशन (हांग कांग) कं. लि. ग) बर्विल रिसोर्सेस लिमिटेड	155.82	मी. टन	अमे. डॉलर
2	7228	एलॉय बार्स और राड्स, स्ट्रेट लेन्थ के, चाहे ये हॉट रोल्ड, हॉट ड्रान, कोल्ड ड्रान, कोल्ड एक्सट्रूडेड, पील्ड बार, सर्फेस मशीन्ड, पॉलिस्ड,	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	क) मैसर्स डाई स्पेशल स्टील कं. लि. ख) जियांग्सू सीपी जिंगचेंग स्पेशल स्टील	क) मैसर्स डाई स्पेशल स्टील कं. लि. ख)जिनागइन जिंगचेंग स्पेशल स्टील वर्क्स कं. लि.	44.89	मी. टन	अमे. डॉलर

		ब्राइट बार, फोर्ज्ड हो या नहीं।			कं. लि. ग) जिनागइन जिंगचैंग स्पेशल स्टील वर्क्स कं. लि.				
3	7228	एलॉय बार्स और राड्स, स्ट्रेट लेन्थ के, चाहे ये हॉट रोल्ड, हॉट ड्रान, कोल्ड ड्रान, कोल्ड एक्सट्रूडेड, पील्ड बार, सर्फेस मशीन्ड, पॉलिस्ड, ब्राइट बार, फोर्ज्ड हो या नहीं।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	नॉन सेम्पल्ड कॉ-ऑपेरेटिंग प्रोड्यूसर/एक्सपोर्टर्स, जो कि इस अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए हैं।	नॉन सेम्पल्ड कॉ-ऑपेरेटिंग प्रोड्यूसर/एक्सपोर्टर्स, जो कि इस अधिसूचना की अनुसूची में दिए गए हैं।	98.62	मी. टन	अमे. डॉलर
4	7228	एलॉय बार्स और राड्स, स्ट्रेट लेन्थ के, चाहे ये हॉट रोल्ड, हॉट ड्रान, कोल्ड ड्रान, कोल्ड एक्सट्रूडेड, पील्ड बार, सर्फेस मशीन्ड, पॉलिस्ड, ब्राइट बार, फोर्ज्ड हो या नहीं।	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य	अन्य सभी	अन्य सभी	185.51	मी. टन	अमे. डॉलर

और साथ ही-

(II) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 7228 के अंतर्गत आने वाले फोर्ज्ड बार्स और टूल तथा डाई स्टील पर भी प्रतिपाटन शुल्क लगाती है तथा यह प्रतिपाटन शुल्क 659.91 अमे.डॉ./मैट्रिक टन के समतुल्य रूपए और ऐसी वस्तु के अवतरण मूल्य के अंतर के बराबर होगा ।

बशर्ते कि उक्त प्रतिपाटन शुल्क को उपर्युक्त क्रम संख्या (I) और (II) में उल्लिखित निम्नलिखित वस्तुओं पर नहीं वसूला जाएगा:

(i) बार्स और राड्स, अनियमित रूप से वाउन्ड क्वायल्स वाले;

(ii) हाई स्पीड स्टील जैसे कि एलॉय स्टील, जिसमें तीन तत्वों यथा यह मोलिबडेनम (Mo), टंगस्टन (W) और वेनाडियम (V) में से कम-से-कम 2 तत्व भार हिसाब से 7% या अधिक के संयोजन में हों, कार्बन 0.6% और क्रोमियम 3% से 6% तक हो, चाहे इसमें अन्य तत्व हों या नहीं;

(iii) टूल और डाई स्टील: निम्नलिखित में से किसी भी संयोजन से इस श्रेणी में निम्नलिखित संयोजनों में से कोई भी संयोजन वाला स्टील आता है:

i. कार्बन >= 0.50% क्रोमियम मिश्रित >= 1.0%, निम्नलिखित तत्वों से संयोजन में: (क) निकिल >= 1.0% (ख) मोलिबडेनम >= 0.2% (ग) वेनाडियम >= 0.2%
ii. कार्बन >= 0.30% टंगस्टन के मिश्रण में >= 0.40%
iii. कार्बन >= 0.30% मैगनीज मिश्रित >=1.0 % और क्रोमियम >= 1.0% निम्नलिखित तत्वों से संयोजन में: (क) निकिल >= 1.0% (ख) मोलिबडेनम >= 0.2% (ग) वेनाडियम >= 0.2%

iv. होलो ड्रिल बार्स एन्ड राड्स;

v. क्रोम इलेक्ट्रोप्लेटेड बार्स और राड्स;

vi. रिइन्फोर्समेंट बार्स, जिनमें रिब्स/ग्रूब्स/इंडेंटेशन हों, जिनका प्रयोग कंक्रीट रिइन्फोर्समेंट में प्रयोग किए जाते हों;

vii. स्टेनलैस स्टील बार्स;

viii. हॉट-रोल्ड राउन्ड बार्स, जिनका व्यास 210 मिली से अधिक हो।

अनुसूची

क्रम सं.	उत्पादक/निर्यातकों का नाम
1	2
1.	शांडोंग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, लाइव्यू कंपनी लि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक और निर्यातक)
2.	शी गांग जिंग चेंग इक्यूपमेंट डेवलपमेंट एंड मैन्युफेक्चरिंग कं.लि. लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक और निर्यातक)
3.	शीज़ीयाज़ूआंग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) और शीज़ीयाज़ूआंग आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड एंड एलजी इंटरनेशनल कार्पोरेशन, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक)
4.	शांडोंग शौगूआंग जूनेंग स्पेशल स्टील कं. लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) और शांडोंग शौगूआंग जूनेंग स्पेशल स्टील कं. लिमिटेड और बर्विल रिर्सोसिज लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक)
5.	जिआंगसू लिआंगफेंग एनर्जी इक्यूपमेंट कं., लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) और जिआंगसू लिआंगफेंग एनर्जी इक्यूपमेंट कं. लिमिटेड और बर्विल रिर्सोसिज लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक)
6.	जेनिथ स्टील ग्रुप कं. लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) तथा जेनेसिस रिर्सोसिज लिमिटेड, टॉपटिप होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड साइनो मैटेरियल कं. लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक)
7.	जियांगसू लिहुई आयरन एंड स्टील कं. लिमिटेड, चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) और एडलर स्टील लिमिटेड, बी एंड एल इंटरनेशनल कं. लिमिटेड और जीएस ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड जिंदल शॉ, चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक)

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया जाने वाला प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 05 वर्ष की अवधि तक (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं किया जाता है, या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगा और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए -

(क) इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए आयात के "अवतरण मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन किए जाने वाले मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा किया गया हो और इसमें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए जाने वाले शुल्क को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क आते हैं ।

(ख) ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के उद्देश्य के लिए लागू की जाने वाली विनिमय दर वही होगी जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत "बिल ऑफ इंट्री" को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी ।

[फाइल संख्या 354/354/2018-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार